प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली

संघ सरकार (रेलवे) रेलवे वित्त - वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 10

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन – संघ सरकार (रेलवे) (वर्ष 2019 की प्रतिवेदन संख्या 10) संसद के दोनो सदनों के पटल पर 2 दिसम्बर 2019 को रखी जा चुकी है और अब एक सार्वजनिक दस्तावेज़ बन गया है

रिपोर्ट दो अध्यायों में संरचित है। अध्याय 1 में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेलवे के वित्त खातों की परीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा अवलोकन हैं। यह विभिन्न मापदंडों के आधार पर रेलवे के वित्तीय स्थिति पर केंद्रित है। रिपोर्ट के अध्याय 2 में रेलवे की आय पर यात्रियों को दी गई रियायतों के प्रभाव तथा इन रियायतों के दुरूपयोग को रोकने के लिए मौजूदा आंतरिक नियंत्रण तंत्र की प्रभावकारिता पर लेखापरीक्षा आपत्तियों को अन्तर्विष्ट किया गया है।

भारतीय रेलवे के वित्त खातों के विश्लेषण से राजस्व अधिशेष की घटती प्रवृत्ति और पूंजीगत व्यय में आंतरिक संसाधनों की हिस्सेदारी का पता चला। 2016-17 के बाद से, रेलवे के राजस्व अधिशेष में गिरावट आई है और निवल राजस्व अधिशेष वर्ष 2016-17 के ₹ 4913 करोड़ से वर्ष 2017-18 के दौरान 66.10 प्रतिशत घटकर ₹ 1665.61 करोड़ हो गया। कुल पूंजीगत व्यय में भी आंतरिक संसाधनों का हिस्सा 2017-18 में घटकर 3.01 प्रतिशत हो गया। इससे सकल बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर अधिक निर्भरता हो गई है।

भारतीय रेल का लगातार गिरता प्रदर्शन 98.44 प्रतिशत के परिचालन अनुपात में प्रतिबिंबित होता है जो पिछले दस वर्षों में सबसे खराब था। यदि एनटीपीसी और इरकॉन से अग्रिम प्राप्त नहीं होते तो भारतीय रेल, वास्तव में ₹ 1665.61 करोड़ के अधिशेष ₹ 5676.29 करोड़ के नकारात्मक संतुलन पर रहती। इसी प्रकार परिचालन अनुपात 102.66 प्रतिशत रहता।

मूल्यह्रास आरक्षित निधि (डीआरएफ) में विनियोजन में 2017-18 में 68 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। मूल्यह्रास के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 1,01,194 करोड़ के अनुमानित कार्यों के 'थ्रो फार्वर्ड' का संचय हो गया।

भारतीय रेल यात्री सेवाओं और अन्य कोचिंग सेवाओं की परिचालन लागत को पूरा करने में असमर्थ थी। मालभाड़ा यातायात से इस लाभ का लगभग 95 प्रतिशत भारतीय रेल के यात्री, प्रतिपूर्ति के लिए उपयोग किया गया। इन श्रेणियों से पूर्ण लागत की वसूली न करने के लिए

सहयोगी कारकों में से एक काफी संख्या में विभिन्न लाभार्थियों को मुक्त तथा रियायती किराया पास/टिकट है।

भारतीय रेल में यात्रियों को दी गई रियायतों के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि रियायतों के प्रति परित्याग किया गया 89.7 प्रतिशत राजस्व वरिष्ठ नागरिकों तथा विशेष पास/पीटीओ धारकों के कारण था। वरिष्ठ नागरिक यात्रियों की 'गिव-अप' योजना' पर प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं थी। रियायतों की सभी श्रेणियों में एसी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या से संबंधित वार्षिक वृद्धि दर गैर-एसी श्रेणी की अपेक्षा अधिक थी।

पास के दुरूपयोग और चिकित्सा प्रमाणपत्रों पर अनियमित रियायतें दिये जाने के कई मामले देखे गए। यात्री आरक्षण प्रणाली में स्वतंत्रता सैनानियों की आयु के प्रमाणन के लिए तथा उसी विशेष पास पर अनियमित बहु-बुकिंग रोकने के लिए पर्याप्त प्रमाणन नियंत्रणों की कमी है।

-*-*-*-*-*